



# नेपाल राजपत्र

## भाग ३

श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित

खण्ड २७ ] काठमाडौं, चैत १४ गते २०३४ साल [ संख्या ४६

श्री ५ को सरकार

अर्थ मन्त्रालयको

सूचना

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा १ को उप-दफा (३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले उक्त ऐन देहायका जिल्लाहरूमा मिति २०३५।१।१ देखि प्रारम्भ हुने गरी तोकेको छ ।

|              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|
| १. इलाम      | २. झापा       | ३. मोरङ्ग     |
| ४. सुनसरी    | ५. उदयपुर     | ६. सप्तरी     |
| ७. सिराहा    | ८. सिन्धुली   | ९. धनुषा      |
| १०. महोत्तरी | ११. सर्लाही   | १२. रौतहट     |
| १३. बारा     | १४. पर्सा     | १५. चितौन     |
| १६. भक्तपुर  | १७. ललितपुर   | १८. काठमाडौं  |
| १९. नवलपरासी | २०. रूपन्देही | २१. कपिलवस्तु |
| २२. दाङ      | २३. सुर्खेत   | २४. बाँके     |
| २५. बर्दिया  | २६. कैलाली    | २७. कञ्चनपुर  |

आज्ञाले—

नरकान्त अधिकारी

श्री ५ को सरकारको सचिव

आधिकारिकतः मूद्रा विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।